

राजस्थान --सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2 / एएचडब्ल्यू-155 / 18 / दिनांक:-

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7154/2016 किरोडमल, नर्स-2 (एएचडब्ल्यू) (सेवानिवृत्त) बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2017 की पालना में याचिकाकर्ता श्री किरोडमल, नर्स-2 (एएचडब्ल्यू) (सेवानिवृत्त) को राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान 6500-10500 के स्थान पर 7500-12000 स्वीकृत किया जाता है।


— sc —
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2 / एएचडब्ल्यू-155 / 18 / 125

दिनांक:- 01/02/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 154 दिनांक 05.01.18 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 33 दिनांक 05.01.18 के क्रम में।
3. श्री संजीव सिंघल, डिप्टी गवर्नमेन्ट कौंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
4. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2017 तत्काल पालना सुनिश्चित करें।
7. उप निदेशक (नर्सिंग) एवं केस प्रभारी मुख्यालय।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को रिट के अनुसार पते पर।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश / रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।